|| कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी(म0प्र0) ||

| द्वितीय निविदा आमंत्रण |

क्रमांक B/2321 / चार–03–02 / 2024 शिवपुरी, दिनांक 3 / 07 / 2024

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि तहसील पिछोर के न्यायालय भवन में निर्मित कैंटीन का संचालन किया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति तहसील पिछोर के न्यायालय भवन में निर्मित कैंटीन का संचालन करना चाहता है, वे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला शिवपुरी के कार्यालय में निविदा की शर्तों के अनुसार सीलबंद निविदा दिनांक 08.07.2024 से अंतिम तिथि दिनांक 19.07.2024 के दोपहर 03:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि उपरांत प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

निविदा आमंत्रण संबंधी विज्ञप्ति एवं शर्तें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की आधिकारिक बेवसाईट www.mphc.gov.in/tenders एवं districts.ecourts.gov.in/india/mp/shivpuri/tender पर देखी जा सकती हैं।

<u>निविदा की शर्तें :–</u>

01. निविदा अनुबंध हेतु शीलबंद निविदाएं कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी में दिनांक 08.07.2024 से दिनांक 19.07.2024 के दोपहर 03:00बजे तक(सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) स्वीकार की जावेगी, इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। निविदा बंद लिफाफे में जमा की जाना होगी। जिस पर "**कैंटीन संचालन बावत् निविदा**" स्पष्टतः लिखा होना चाहिए।
02. अनुज्ञा शुल्क तहसील न्यायालय पिछोर जिला शिवपुरी स्थित कैंटीन हेतु न्यूनतम किराया 5000/– अंकेन पांच हजार रूपये प्रतिमाह निर्धारित है।
03. निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ कैंटीन संचालन हेतु राशि 25,000/– अंकेन पच्चीस हजार रूपये की राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिये जारी एफडीआर अमानत के रूप में, जो **"प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी"** के हित में देय होगी। जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जावेगी, उक्त निविदाकर्ता की एफडीआर अमानत राशि के रूप में एक वर्ष के लिये सुरक्षित जमा रहेगी तथा शेष निविदाकर्ताओं जिनकी निविदाएं असफल होगी, उनकी राशि निविदा की चयन प्रक्रिया के पश्चात् मूलतः निविदाकर्ता को वापस की जावेगी।
04. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बंद निविदाएं, दिनांक 22.07.2024 को प्रातः 11:00 बजे प्रशासनिक मामलों की समिति जिला न्यायालय शिवपुरी के समक्ष निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोली जाकर अंतिम रूप दिया जावेगा, जिस पर अधिकतम राशि अंकित करने वाली निविदाकर्ता की निविदा मान्य होगी।

05. निविदा स्वीकार होने के फलस्वरूप, निविदाकर्ता को 02 माह की किराया राशि चालान के माध्यम से शासन हित में अथवा जिला नाजिर, नजारत अनुभाग शिवपुरी के पास नगद जमा कराई जाना होगी। कैंटीन कक्ष के संचालन के एक सप्ताह पूर्व अनुबंध सहित कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी में जमा कराना होगा तथा शेष माह की राशि प्रत्येक 02 माह की समाप्ति के 01 सप्ताह पूर्व जमा कराना आवश्यक होगा।

06. कैंटीन, जिस निविदाकर्ता के पक्ष में अंतिम रूप से स्वीकार होती है, एक वर्ष के संचालन के उपरांत यदि वह आगामी वर्ष के लिये पुनः संचालन चाहता है, तो पूर्व से निर्धारित किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि पर देय होगी, जिसके लिये निविदाकर्ता को पूर्व से निर्धारित संचालन अवधि(एक वर्ष) पूर्ण होने के 01 माह पूर्व आवेदन पत्र कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी में प्रस्तुत करना होगा।

07. निविदाकर्ता द्वारा निविदा शर्तों के अधीन लिये गये कैन्टीन कक्ष, एक वर्ष की अवधि के लिये होगी, यदि निविदाकर्ता द्वारा एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पूर्व संचालन बंद किया जाता है अथवा निविदा की शर्तों का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से किन्हीं भी परिस्थितियों में उल्लंघन किया जाता है तो, अमानत के रूप में जमा एफडीआर की राशि जप्त/राजसात की जाकर शासन हित में जमा की जावेगी।

08. प्रथम पक्ष/द्वितीय पक्ष के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का क्षेत्राधिकार/निराकरण के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी का निर्णय अंतिम होगा।

09. निविदाकर्ता द्वारा कैन्टीन के संचालन में संदर्भ में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से अनुमति लिये बगैर किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन कार्य नहीं करेगा, इस प्रकार का कार्य किये जाने पर अनुज्ञा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

10. निविदाकर्ता स्वच्छता/साफ–सफाई/पारदर्शिता के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होगें, किन्हीं भी परिस्थितियों पर उपरोक्त के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर अनुज्ञा निरस्त/समाप्त की जा सकेगी।

11. कैंटीन संचालन हेतु विद्युत आपूर्ति हेतु, कैन्टीन संचालनकर्ता व्यक्ति/संस्था के नाम से पृथक से विद्युत कनेक्शन लेना होगा। जिसकी राशि नियमानुसार जमा करने का उत्तरदायित्व कैन्टीन संचालनकर्ता व्यक्ति/संस्था का होगा।

12. विकय योग्य वस्तुओं की दरें कैन्टीन परिसर के सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा। निविदाकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री की दरें द्वितीय पक्ष से अनुमोदित कराई जावेंगी तथा ऐसा दर बाजार रेट से अधिक नहीं होगा एवं अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री का विकय किया जावेगा।

13. निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र "यदि उसने पूर्व में कैन्टीन का कार्य किया हो" अथवा इस तरह का कोई अन्य कार्य किया गया हो, उक्त अनुभव आदि को समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुये प्राथमिकता दी जा सकेगी।

14. कैन्टीन संचालनकर्ता को कैन्टीन का संचालन कार्य दिवसों में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा निर्धारित समयावधि में ही किया जावेगा। सार्वजनिक अवकाश दिवस में आवश्यकता होने पर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी की अनुमति से ही कैन्टीन का संचालन किया जा सकेगा।

15. निविदाकर्ता द्वारा कैन्टीन के संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण नहीं किया जावेगा। निविदाकर्ता द्वारा कैन्टीन संचालन में ऐसा अस्थायी निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुये अनुमोदित करवाने के उपरांत ही कर सकेंगे जो शासकीय संपत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो। किन्हीं कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थाई निर्माण के हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थाई निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटायेगा।

16. न्यायालय परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की आपराधिक, गतिविधियॉ एवं मादक पदार्थो अथवा दृव्यों जैसे धूम्रपान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, संलिप्त पाये जाने पर विधि अनुसार संचालनकर्ता के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जावेगी।

17. कैन्टीन संचालनकर्ता द्वारा बंद निविदा के साथ पहचानपत्र जैसे आधारकार्ड, पैनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से एक दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

18. कैन्टीन संचालन हेतु निविदाकर्ता एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी की ओर से जिला रजिस्ट्रार, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा 500/– पांच सौ रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पर अनुबंध संपादित कराना होगा, जिसका व्यय निविदाकर्ता द्वारा वहन करना होगा। अनुबंध निविदाकर्ता द्वारा 07 दिवस के पूर्व जमा कराना होगा।

Sd/-
(राजेन्द्र प्रसाद सोनी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी, म0प्र0

पृष्ठां. कमांक B/L382/चार–03–02/2024 शिवपुरी, दिनांक 03/07/2024

यथानिर्देशित प्रतिलिपि :–

1. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, शिवपुरी की ओर तीन प्रतियों में प्रेषित कर लेख है कि, निविदा आमंत्रण की सूचना जिला न्यायालय भवन के सूचना पटल पर, कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी के सूचना पटल पर एवं जन सामान्य पहुंच वाले स्थानों पर चस्पा कराई जाकर चस्पा रिपोर्ट कार्यालय की ओर प्रेषित किये जाने हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, पिछोर की ओर तीन प्रतियों में प्रेषित कर लेख है कि, निविदा आमंत्रण की सूचना न्यायालय भवन पिछोर के सूचना पटल पर, आम चौपाल पिछोर, एवं जन सामान्य पहुंच वाले स्थानों पर चस्पा कराई जाकर चस्पा रिपोर्ट कार्यालय की ओर प्रेषित किये जाने हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर प्रेषित कर लेख है कि निविदा आमंत्रण की सूचना, माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर एवं ई–कोर्टस से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी के पेज पर अपलोड कराये जाने संबंधी कार्यवाही करें।
4. अध्यक्ष, प्रशासनिक मामलों की समिति, जिला न्यायालय शिवपुरी।

5. जिला रजिस्ट्रार, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी।
6. प्रभारी अधिकारी, एनआईसी, कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी की ओर एनआईसी शिवपुरी की बेवसाईट पर प्रसारित किये जाने हेतु प्रेषित है।

(राजेन्द्र प्रसाद सोनी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी, म0प्र0